an>

Title: Need to fix minimum and maximum price for all air routes in the Country.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में अभी बजट एयरलाइंस का बहुत दौर चल रहा है। इसमें लगता है कि किराया सस्ता होगा और यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। लेकिन उसका न तो मिनिमम प्राइस लिमिट है और न ही मैंक्सिमम प्राइस लिमिट है। यदि मिनिमम प्राइस लिमिट नहीं होती है, तो एक एयरलाइंस दूसरे एयरलाइंस से मुकाबला करते हैं जिससे विभिन्न एयरलाइंस बंद होती जा रही हैं। आपको पता है कि कई एयरलाइंस बंद हो गई हैं। मैंक्सिमम प्राइस होने से बजट एयरलाइंस का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाता है।

आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि जो कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने आर्टिकल 49(1) (ए) में सरकार को एक रिकमेंडेशन दिया है, उसने कुछ बातें सजेस्ट कीं कि फ्लाइटवाइज कितने पैसेंजर्स गये, उसकी एक लिस्ट रोज जमा होनी चाहिए, type of aircraft used for each flight जमा होनी चाहिए, फ्लाइटवाइज पैसेंजर्स लोड फैक्टर जमा होना चाहिए, रूटवाइज रेवेन्यू जमा होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और ऑपरेशन मार्जिन्स जमा होना चाहिए, fuel cost as percentage of total cost जमा होना चाहिए, taxes and surcharge collected per flight जमा होना चाहिए और नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड लिज्ड जमा होनी चाहिए। एयरपोर्ट को कहा गया है कि number of aircraft taking off and landing, number of slots available at each airport and procedure of calculation of capacity of the airports, इसे आज तक कोई भी एयरलाइंस नहीं जमा कर रहे हैं, जिसके कारण आम यात्री परेशान हो रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि ये सभी जमा किये जाएं तथा सभी रूट्स के मिनिमम और मैंक्सिमम प्राइस तय किये जाएं ताकि आम यात्रियों को सुविधा हो।

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri P.P. Choudhary and

Shri Daddan Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.